न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/121

1. जगदीश प्रसाद पुत्र बलराम
2. इन्द्रराज पुत्र जगदीश प्रसाद
3. सीताराम पुत्र जगदीश प्रसाद जातियान धाकड निवासीगण ग्राम मकडावद तहसील सांगोद जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

परमानन्द पुत्र स्व0 हजारी लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मकडावद तहसील सांगोद जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रामप्रसाद नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 12.04.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2017 एवं डिक्री दिनांक 12.04.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मकडावद तहसील सांगोद में खसरा नम्बर 622 की रकबा 0.67 हैक्टर व खसरा नम्बर 624 की रकबा 0.30 हैक्टर कुल 02 किता की रकबा 0.97 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी कम 01 के खातेदारी की आराजी के पास स्थित है । वादी ने उक्त भूमि प्रतिवादीगण से 04 वर्ष के लिए मुनाफा काश्त पर जुपाई थी । मुनाफा काश्त की शर्त के अनुसार मुनाफा काश्त की अवधि पूर्ण होने पर उक्त भूमि प्रतिवादीगण द्वारा वादी को संभलायी जानी थी परन्तु उनके द्वारा भूमि वादी को नहीं संभलायी गई । प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर काश्त की गई । प्रतिवादीगण का उक्त कृत्य अवैधानिक है एवं उनका उक्त भूमि पर कब्जा एक अतिक्रमी की हैसियत से है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को संभलाया जावे ।

4. परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 08.05.2017 के द्वारा वाद वादी स्वीकार किया और दिनांक 12.04.2021 को डिक्री पारित की ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2017 एवं डिक्री दिनांक 12.04.2021 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्टगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । पक्षकारान के मध्य आपस में कोई राजीनामा नहीं हुआ है जबकि लोक अदालत में केवल राजीनामा के आधार पर ही निर्णय किया जा सकता है । परीक्षण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 08.05.2017 को पारित किया था जबकि डिक्री 04 वर्ष बाद सन् 2021 में बनायी है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनी है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्टगण ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रकरण को लोक अदालत में दिनांक 08.05.2017 को निर्णित किया और निर्णय पारित करने के 04 वर्ष पश्चात् डिक्री बनायी थी । अपीलान्टगण द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी होने पर दिनांक 08.074.2021 को नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 12.07.2021 को उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त होने पर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्टगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । पक्षकारान के मध्य आपस में कोई राजीनामा नहीं हुआ है जबकि लोक अदालत में केवल राजीनामा के आधार पर ही निर्णय किया जा सकता है । परीक्षण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 08.05.2017 को पारित किया था जबकि डिक्री 04 वर्ष बाद सन् 2021 में बनायी है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनी है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2017 एवं डिक्री 12.04.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादी क्रम 1 व 3 अपीलान्ट परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हुए हैं और उनके द्वारा अपनी उपस्थिति के हस्ताक्षर किये गये हैं । परीक्षण न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2017 एवं डिक्री दिनांक 12.04.2021 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में 2014 (1) डीएनजे (राज0) पेज 405, 2018 (1) आरआरटी पेज 188, 2019 (1) डीएनजे (राज0) पेज 47, 2013 डीएनजे (एससी) पेज 828, 2016 (2) आरआरटी पेज 1110, 2019 आरआरडी पेज 332, एआईआर 2003 (एससी) पेज 2418, 2015 (4) डीएनजे (राज0) पेज 1413, एआईआर 1990 (एससी) पेज 371, 2005 (1) आरएलडब्ल्यू (राज0) पेज 651 ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. परीक्षण न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादी के जवाब में लम्बित थी और इसे दिनांक 08.05.2017 को लोक अदालत में रखा गया और उसी दिन वाद वादी स्वीकार कर दिया। परीक्षण न्यायालय ने वाद स्वीकार करने के 04 वर्ष पश्चात् दिनांक 12.04.2021 को डिक्री पारित की है । लोक अदालत में पक्षकारान में से प्रतिवादी क्रम 01 जगदीश एवं प्रतिवादी क्रम 03 सीताराम के उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2017 एवं डिक्री दिनांक 12.04.2021 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण अपीलान्ट से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर उभयपक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से नये सिरे से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 17.05.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 12.02.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनुराग भार्गव)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा